

Scanned with OKEN Scanner

Uttar Pradesh Shasan
Grh (Police) Anubhag - 9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 256 dated 23 February, 2026:

Notification

No. 256/Chhah-Pu-9-2026-1723228

Lucknow: Dated: 23 February, 2026

WHEREAS the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad has given its consent vide letter No.494/Main-B/(Admin.A-3)/Allahabad dated 13.01.2026 for conferment of powers upon Sessions Courts (Special Courts for trial of NDPS cases constituted vide Government Notification No. 1809/VII-Nyaya-2-2019-159G/96 dated 19 August, 2019) and the Court of Additional Chief Judicial Magistrate-I for trial of cases investigated by 06 Police Stations of Anti-Narcotic Task Force in Saharanpur, Meerut, Jhansi, Barabanki, Ghazipur and Gorakhpur Districts ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sections 36, 36-A and other relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985), the Governor is pleased to confer the jurisdiction of trial of all offences under the aforesaid Act which are investigated by Anti-Narcotics Task Force police stations (constituted by Office Memorandum No. 795/Chhah-Pu-09-23-31(133)/2019 dated 31 March, 2023) located at districts of Saharanpur, Meerut, Jhansi, Barabanki, Ghazipur and Gorakhpur to the Sessions Courts (Special Courts for trial of NDPS cases constituted vide Government Notification No. 1809/VII-Nyaya-2-2019-159G/96 dated 19 August, 2019) and the Court of Additional Chief Judicial Magistrate-I of the respective six districts.

Digitally signed by By order,
SANJAY PRASAD
Date: 23-02-2026 (Sanjay Prasad)
10:19:44 Additional Chief Secretary.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
(Administrative (A-3) Section)
Notification

No. 2574 /Main-B (Admin. (A-3); Allahabad: Dated: 27.02.2026

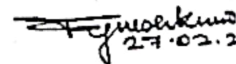
Copy in confirmation of the above Government Notification No.256/VI-Po.-9-2026-1723228 Lucknow: Dated 23.02.2026 along-with referred office memorandum no. 795/VI-Po.-09-23-31(133)/2019 dated 31.03.2023 forwarded for information & necessary action to: -

1. All the District & Sessions Judges, Subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad.
2. All the District Magistrates of the State of Uttar Pradesh.
3. The Chief Private Secretary to Hon'ble The Chief Justice, High Court, Allahabad.
4. The Principal Secretary (Appointment) Government of Uttar Pradesh, Lucknow (through E-mail).
5. The Principal Secretary (Law) & L.R. Government of Uttar Pradesh, Lucknow (through E-mail)
6. The Principal Secretary, Department of Social Welfare, Lucknow.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD



7. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor Jawahar Bhawan, Annexe, Lucknow.
8. The Director Institute of Judicial Training & Research U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
9. The Home Secretary, Grih Police, (Anubhag-2), Government of U.P., Lucknow.
10. The Additional Director Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
11. The Senior Registrar, Lucknow Bench, Lucknow (through E-mail).
12. The Registrar (J.)(Conf.), High Court, Allahabad (through E-mail).
13. The Registrar (J.) Computer, High court, Allahabad (through E-mail)
14. The Registrar (J.)(Budget), High Court, Allahabad (through E-mail)
15. The Publication Secretary, U.P. Judicial Service Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
16. All the Private Secretaries to the Hon'ble Judges sitting at High Court, Allahabad and Lucknow bench, Lucknow with the request to place the same before their Lordships.
17. The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.
18. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
19. The Director General of Police, U.P., Lucknow.
20. The Joint Registrar (Services), High Court, Allahabad (through E-mail).


27.02.2021

(Rajnesh Kumar)
Registrar (J) (Services)
(For Registrar General)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या 256/छ:-पु-9-2026-1723228
लखनऊ: दिनांक: 23-02-2026

अधिसूचना

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पत्र संख्या 494/मेन-बी/(एडिमन.ए-3)/इलाहाबाद दिनांक 13.01.2026 के माध्यम से सत्र न्यायालयों सरकारी अधिसूचना संख्या 1809/सात-न्याय-2-2019-159जी/96 दिनांक 19 अगस्त, 2019 द्वारा गठित एनडीपीएस मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम न्यायालय जिला सहारनपुर, मेरठ, झाँसी, बाराबंकी, गाजीपुर और गोरखपुर में एण्टी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 6 पुलिस थानों द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए शक्तियां प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी है;

अतएव अब, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) की धारा 36, 36-क और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों, जिनका अन्वेषण जिला सहारनपुर, मेरठ, झाँसी, बाराबंकी, गाजीपुर एवं गोरखपुर में स्थित एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस थानों (कार्यालय ज्ञाप संख्या 795/छ:-पु0-09-23-31(133)/2019 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा गठित), द्वारा किया गया है, के विचारण की अधिकारिता सत्र न्यायालयों सरकारी अधिसूचना संख्या-1809/सात-न्याय-2-2019-159जी/96 दिनांक 19 अगस्त, 2019 द्वारा गठित एन डी पी एस मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा सम्बन्धित छह जिलों के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(प्रथम) न्यायालय को प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 23-02-2026
10:20:18

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव।

1/2023/() -9

36

Small letter

Circulation

15-10-23

192-
9/10/23उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या- 795/ ध: मु-09-23-31(133)/2019

तारीख: दिनांक: 31 मार्च, 2023

कार्यालय-आप

31/3/23

गृह मंत्रालय IS-II Division भारत सरकार के परिपत्र संख्या-I-12033/2/2017/NCB-II दिनांक 29.07.2019 के तहत Narco Coordination Center (NCORD) Mechanism को पुनर्गठित करने हुए वारंवार तत्सम Mechanism को लागू किये जाने एवं परिपत्र संख्या-I-12020/80/2013-NCB-II दिनांक 04.12.2014 द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोक-थाम हेतु निर्गत निर्देशों के अनुपालन में राज्य स्तर पर एन्टी नारकोटिक्स टारगट फोर्स गठित किये जाते विषयक निर्गत कार्यालय-आप संख्या-2020/ध: मु-09-22-31(133)/2019 दिनांक 04.08.2022 तथा संशोधित के प्रस्तर-2(2) के माध्यम से राज्य स्तर तथा आवश्यकतानुसार जोन/क्षेत्रीय स्तर पर नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन की स्थापना की गयी है, जिसका कार्यक्षेत्र तदनुसार निर्धारित है। प्रथम चरण में जनपद बाराबंकी, गोरखपुर व मेरठ तथा द्वितीय चरण में जनपद सहारनपुर, गाजीपुर व झाँसी में नारकोटिक्स थाने स्थापित किये गये हैं, जिनमें मानक के अनुसार वर्तमान एन्टी नारकोटिक्स थाने के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

192-
9/10/23

2. प्रदेश के नारकोटिक्स थानों जनपद बाराबंकी, गोरखपुर व मेरठ का अधिकारिता क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 15.12.2022 को संशोधित करते हुए नारकोटिक्स थानों जनपद बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, गाजीपुर व झाँसी के अधिकारिता क्षेत्र की अधिसूचना एतद्वारा निम्नगत पुनर्निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	पुलिस थाना का नाम	थाने की अधिकारिता क्षेत्र के जिले/जनपद	थाने की सन्वयक ए०एन०टी०एफ० यूनिट
1.	एन्टी नारकोटिक्स थाना जनपद सहारनपुर	<ul style="list-style-type: none"> • बरेली • बदायूँ • गौतमी • सहारनपुर • शारदा • मुजफ्फरनगर • मुरादाबाद • बिजनौर • अनूपहरा • रामपुर • संभल 	बरेली यूनिट
2.	एन्टी नारकोटिक्स थाना जनपद मेरठ	<ul style="list-style-type: none"> • मेरठ • बल्लभगढ़ • हनुमानगढ़ • मुल्तानगढ़ • गाजियाबाद कनिश्चरेट • भीमनगर कनिश्चरेट • आगरा कनिश्चरेट • मथुरा • मिर्जापुर • मैनपुरी • अलीगढ़ • एटा • हाथरस 	मेरठ यूनिट
			आगरा यूनिट

DIG. AM/TF

31/3/23

SP/19/1/10/SP(115)

गृह मंत्रालय भारत सरकार
एन्टी नारकोटिक्स टारगट फोर्स
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1/2023/2023

31/3/23

Scanned with OKEN Scanner

1947/2023/0-9

Email-Fax

		<ul style="list-style-type: none"> • पोलीस • रेजरि • मुशीनगर • बहलपुर 	
--	--	---	--

संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव

संलग्न व दिनांक: उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवर मुख्य सचिव, आगवर्गी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) अवर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) अवर मुख्य सचिव, शिक्षित एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) अवर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वेस्ट ब्लॉक-1, विंग नं०-5, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 110066
- (6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) उप निदेशक, (पी० एफ़० सी०), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वेस्ट ब्लॉक-1, विंग नं०-5, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, 110066
- (8) अवर पुलिस महानिदेशक, अमराठी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (9) अवर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (10) अवर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी संपर्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (11) अवर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (12) क्षेत्रीय निदेशक, स्थापक नियन्त्रण ब्यूरो, बी-912 सी०आई०डी० कालोनी महानगर लखनऊ।
- (13) निदेशक, विधि विभाग प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (14) फाईल युक्त।

आज्ञा से,

(अमित कुमार)
संयुक्त सचिव :

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-23/2019/1809/सात-न्याय-2-2019-159जी/96
लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2019

अधिसूचना

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1985) की धारा 36 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से, शासनादेश संख्या-10/2016/870/सात-न्याय-2-2016-85जी/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2016 द्वारा सृजित विशेष न्यायालय, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-दो में उल्लिखित जिलों के लिए गठित करते हैं और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-तीन में उल्लिखित जिलों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हैं:-

अनुसूची-1

क्रम संख्या	जिलों के नाम	विशेष न्यायालयों की संख्या
एक	दो	तीन
1	गाजियाबाद	02
2	बरेली	01
3	वाराणसी	02
4	कानपुर नगर	02
5	इलाहाबाद	02
6	बलिया	01
7	चन्दौली	01
8	आगरा	02
9	गाजीपुर	01
10	फर्रुखाबाद	01
11	आजमगढ़	02
12	हमीरपुर	01
13	सीतापुर	02
14	झाँसी	01
15	बदायूँ	01
16	जौनपुर	01
17	गोरखपुर	01
18	लखनऊ	01
19	अलीगढ़	01
20	मुरादाबाद	01
21	सोनभद्र	01
22	बहराइच	01
23	मीरजापुर	01
24	फिरोजाबाद	01

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25	रायबरेली	01
26	गौतमबुद्ध नगर	01
27	बाराबंकी	01
28	कुशीनगर (पड़रौना)	01
29	मेरठ	01
30	बौदा	01
31	मथुरा	01
32	देवरिया	01
33	रामपुर	01
34	उन्नाव	01
35	कन्नौज	01
36	लखीमपुर खीरी	01
37	अमरोहा (जे०पी० नगर)	01
38	मऊ	01
39	शाहजहाँपुर	01
40	सुल्तानपुर	01
41	बस्ती	01
42	मुजफ्फरनगर	01
43	कानपुर देहात	01
44	भदोही	01
45	कौशाम्बी	01
46	हाथरस	01
47	अम्बेडकर नगर	01
48	जालौन	01
49	हरदोई	01
50	फतेहपुर	01
51	ललितपुर	01
52	महराजगंज	01
53	कांसीराम नगर (कासंगंज)	01
54	प्रतापगढ़	01
55	फैजाबाद	01
56	पीलीभीत	01
57	महोबा	01
58	चित्रकूट	01
59	इटावा	01
60	मैनपुरी	01
61	औरैया	01
62	एटा	01
63	सहारनपुर	01
64	सिद्धार्थनगर	01

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

65	बागपत	01
66	बुलन्दशहर	01
67	गोण्डा	01
68	संतकबीर नगर	01
69	बिजनौर	01
70	बलरामपुर	01
71	श्रावस्ती	01

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-23/2019/1809(1)/सात-न्याय-2-2019, तदिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय प्रेस ऐशवाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 19 अगस्त, 2019 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2019/1809(2)/सात-न्याय-2-2019, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ०प्र०।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- न्याय अनुभाग-9(बजट), उ०प्र० शासन।
- 7- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।